प्रधानमंत्री आवास योजना

एलआईजी फ्लैट्स - इन्द्रप्रस्थ फेस - 2

PCG RERA Reg. No. - 270618000347

लिफ्ट व पार्किंग की सुविधा

प्रकार	सुपर बिल्टअप एरिया (वर्गफुट)	कारपेट एरिया (वर्गफुट)	ऑफसेट मूल्य	धरोहर राशि
LIG Flats - 2 BHK	811.84	513.79	8,85,122/-	50,000/-

आवेदन की पात्रता : (1) आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष से निवासरत होना चाहिए (2) आवेदक के पूरे परिवार की वार्षिक आय रु. 3,00,001 (तीन लाख एक रुपये) से रु. 6,00,000/- (छह लाख रुपये) के मध्य हो (3) आवेदक व उसके परिवार के नाम पर पूरे भारत वर्ष में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं हो |

आवेदन कौन कर सकता है ? इस योजना के अंतर्गत परिवार की महिला मुखिया / परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर / जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं हो तब परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर आवेदन किया जा सकता है (परिवार से आशय-पति, पत्नी, अवयस्क बच्चे तथा आश्रित माता-पिता)।

पंजीयन राशि: रु. 50,000/- (पचास हजार रुपए) ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार्य होगा

आरक्षण : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार आरक्षण उपलब्ध।

आबंटन: ऑनलाइन टेंडर/बिडिंग के माध्यम से

आवेदन की प्रक्रिया : आवेदन की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी| रायपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पंजीयन करना होगा | हमारा वेबसाइट हैं - https://rda.cgstate.gov.in

ऑनलाइन आवदेन के लिए आवश्यक दस्तावेज: (1) आरक्षित वर्ग से आवेदन करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र |

(2) आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और हस्ताक्षर |

(3) शपथ पत्र (50. रू के स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित हो), शपथ पत्र का प्रारूप रायपुर विकास प्राधिकरण के वेबसाइट में दिया गया हैं |

(4) आवेदक का बैंक पासबुक या बैंक चेक डिटेल्स |

(5) उपरोक्त सभी दस्तावेजों को pdf, jpg, jpeg या png फॉर्मेट में ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड करना होगा | फाइल साइज 150 KB से अधिक नहीं होना चाहिए |

ऋण उपलब्धता : प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत होने के कारण बैंकों द्वारा आसान किश्तों में ऋण उपलब्ध होगा।

नोट : प्लॉट तथा फ्लैट का आबंटन नियम एवं शर्तों के आधार पर किया जाता है। कृपया दलालों से सावधान रहें और उनके जाल में ना फसें। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्लॉट तथा फ्लैट दिलाने के नाम पर अतिरिक्त राशि की मांग किए जाने पर उसकी शिकायत कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी से करें | शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी |

रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा परिसर, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर

अधिक जानकारी के के लिए लिए संपर्क करें : 7224980800

वेबसाईट : https://rda.cgstate.gov.in

—:शपथ पत्र:—

मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मुझे **एल.आई.जी.**2BHK/3BHK (**प्रकोष्ठ**) आवंटन होने की स्थिति में :

1. उपरोक्त सभी नियम/शर्ते मेरे द्वारा पढ़कर समझ लिया गया है। मुझे समझा दी गई है। मैं उक्त नियम/शर्तो का पालन करने वचन देता हूँ/देती हूँ
2. मैं भवन का उपयोग केवल आवास हेतु करूंगा/करूंगी।
3. मैं प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किश्त एवं अन्य प्रभार जो समय–समय पर भारित होंगे, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
4. मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा/करूंगी।
5. मेरे अथवा परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नाम पर भवन, आवासीय भूखण्ड अथवा **प्रकोष्ठ** भवन नहीं है अथवा आबंटन हेतु परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है।
6. भवन में किसी भी प्रकार का परिर्वतन/परिवर्धन या तोड़–फोड़ नही करूंगा/करूंगी।
7. मेरी/मेरे परिवार की **वार्षिक** आय .... शब्दों **में** ....रूपये है।
8. मैं. .... जिला .... में विगत .... **वर्षों** से निवास कर रहा हूँ/रही हूँ।
9. मुझे नियम शर्तो की कंडिका क्रमांक 01 से लेकर 14 तक मान्य हैं तथा वह सभी प्रकार के प्राधिकरण के नियमों का पालन करूंगा/करूंगी।

आवेदिका/आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

पिता/पति ....

पता ....

....

फोन नं. .... मो.नं. ....

50/– के स्टाम्प पर नोटरी से
(सत्यापित शपथ पत्र का प्रारूप)